फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2021/326 बअनवान दरजा वगैरा बनाम अखी वगैरा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल गर्ग उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री नारायणसिंह राजपुरोहित उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने से सीपीसी के प्रावधानों अनुसार अप्रार्थी पक्ष जवाब अवसर बंद करते हुये उपस्थित वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम कागदडा पटवार हल्का आमलिया स्थित भूमि खसरा नंबर 55 से 63 व 65, 91 से 94 कुल खसरा 14 कुल रकबा 4.15 हैक्टर के संबंध में विभाजन का वाद पेश किया है तथा वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि बेचान किये जाने की आशंका व्यक्त करते हुये यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा इसका जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार पक्षकारों का मुख्य अनुतोष भूमि विभाजन का है तथा विभाजन के पश्चात ही तय होगा कि कौनसे खसरा नंबर की भूमि किस पक्ष के हिस्से बंट में रखी गई है। ऐसी स्थिति में यदि विभाजन से पूर्व यदि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण अथवा मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो मौके पर पक्षकारों के मध्य विवाद बढने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकुलाय एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं 1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं की कसौटी पर प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि ग्राम कागदडा पटवार हल्का आमलिया स्थित भूमि खसरा नंबर 55 से 63 व 65, 91 से 94 कुल खसरा 14 कुल रकबा 4.15 हैक्टर के मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	